

२५९८

पत्रांक / आयु०कर उत्तरा०/वाणि०क०/विधि-अनुभाग/पत्रा० / 15-16 / देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड  
(विधि-अनुभाग)

दिनांक: देहरादून :: १५ अगस्त 2015

समस्त डिप्टी कमिशनर वाणिज्य कर,  
समस्त असिस्टेंट कमिशनर वाणिज्य कर,  
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 498/2015//  
/24(120)/XXVII-8/2010, दिनांक 10 अगस्त 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-II (ख) के क्रमांक 109 में संशोधन करते हुये मिठाई, रेवड़ी गजक तथा नमकीन जिसमें पैकड़ ब्रांडेड नमकीन शामिल नहीं है, पर कर की दर 5 प्रतिशत करने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है।

उपरोक्त पत्र की छायाप्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें।  
संलग्न-उपरोक्तानुसार।

(पीयूष कुमार)

एडिशनल कमिशनर, वाणिज्य कर,  
मुख्यालय, उत्तराखण्ड


२५९८

प००प०सं० / दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १— सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- २— महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस, इन्द्रानगर, देहरादून।
- ३— अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अभिकरण, देहरादून/हल्द्वानी।
- ४— एडिशनल कमिशनर, वाणिज्य कर गढ़वाल जोन देहरादून/ कुमांऊ जोन रुद्रपुर।
- ५— एडिशनल कमिशनर (आडिट/प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
- ६— ज्वाइन्ट कमिशनर(कार्यो) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर-निर्धारण अधिकारियों/ बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष / सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- ७— ज्वाइन्ट कमिशनर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
- ८— ज्वाइन्ट कमिशनर(विअनुशासा०/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, /हरिद्वार/रुद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

- 9— श्री शहाब अली, डिप्टी कमिशनर(विधि) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून एवं Web-Information Officer को विभागीय Website पर Update करने हेतु।
- 10— निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड रुड़की को आगामी राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ।
- 11— आई०टी०—अनुभाग मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त अधिसूचना स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को E-mail द्वारा प्रेषित कर दें।
- 12—Intavatt Info. Pvt. 4 फेयरी मैनर IIInd Floor 13— आर० सिंधुआ मार्ग मुम्बई—400001 महाराष्ट्र।
- 13—डिप्टी कमिशनर(उच्च न्याय कार्यालय) वाणिज्य कर, नैनीताल।
- 14—अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड सर्वश्री सत्या इण्डस्ट्रीज, माहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र देहरादून।
- 15—प्रान्तीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल कार्यालय सर्वश्री क्वालिटी हार्डवेयर गांधी रोड़ देहरादून।
- 16— दून उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल सर्वश्री नागलिया ऑटोमोबाईल त्यागी रोड़ देहरादून।
- 17— प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल समिति, उत्तराखण्ड, सर्वश्री दीवान ट्रेंडिंग कम्पनी
- 81—मोती बाजार देहरादून।
- 18— The whole sale dealers Association 14—आढ़त बाजार देहरादून।
- 19— प्रान्तीय इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन 222/5 गांधी ग्राम देहरादून।
- 20— कार्यालय अधीक्षक/विधि—अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।
- 21—समस्त अनुभाग अधिकारी



एडिशनल कमिशनर वाणिज्य कर  
मुख्यालय देहरादून

०/८

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त अनुभाग-8  
सं0 /2015/24(120)/XXVII(8)/2010  
दिनांक: देहरादून: 10 अगस्त, 2015

### अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है:-

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4), सपष्टित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 1, वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-II(ख) में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

### संशोधन

अनुसूची-II(ख) के क्रमांक 109 पर विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी; अर्थात्-

क्र0सं0	माल का विवरण	कर की दर
109	मिठाई, रेवड़ी गजक तथा नमकीन जिसमें पैकड ब्रांडेड नमकीन शामिल नहीं है।	5 प्रतिशत

(अमित नेरी)  
सचिव।

सं0 498/2015/24(120)/XXVII(8)/2010 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि कृपया अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिकारियों व करदाताओं को अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।
- 2— निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियों इस अनुराध सहित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियों वित अनुभाग 8 में अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 3— सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।
- 4— भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 5— एन0आई0सी0।
- 6— गार्ड फाईल हेतु।

498  
10/08/15  
अनुभाग  
आवश्यक कार्यवाही करें  
अपर आयुक्त कर  
उत्तराखण्ड, देहरादून

आज्ञा से  
(हीरा सिंह बसेडा)  
अनु सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 498/2015/24(120)/XXVII(8)/2010 dated 10 August, 2015 for general information.

**Government of Uttrakhand**  
**Finance Section-8**  
**No. 498/2015/ 24(120)/XXVII(8)/ 2010**  
**Dehradun:: dated:: 10 August, 2015**

**Notification**

WHEREAS the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (Act no. 1 of 1904) (as applicable in the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to make, with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette, the following amendment in Schedule-II (B) of The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005:-

**Amendment**

In Schedule-II(b), for the existing entry at serial no. 109, the following entry shall be substituted; namely-

<b>Sl.no.</b>	<b>Description of Goods</b>	<b>Rate of tax</b>
109	Sweetmeat, rewari, gajak and namkeen excluding packed branded namkeen	5 percent

(Amit Negi)  
secretary.